न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57/2007 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री मनजी पिता लालू धन्नावत निवासी खाटी कमदी तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री शांतिलाल पिता राजिया भजात निवासी खाटी कमदी तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला
कलक्टर उदयपुर दिनांक 26–10–2010 प्रकरण
संख्या 12/2007 आवंटन

———/———

उपस्थित :– 1– श्री काशीराम मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कृपाशंकर मेघवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं.–2

——————/——————

निर्णय **दिनांक 27–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 प्रार्थी द्वारा अपीलान्ट विपक्षी व सरकार के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम–1970 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खाटी कमदी में स्थित आराजी नंबर 1933, 1934 व 1935 कूल किता–3 रकबा .18 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का 40 वर्षो से अधिक का कब्जा है। दिनांक 6–11–2006 को विपक्षी संख्या–1 ने प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की पीठ–पीछे अपने नाम आवंटित करवा ली। पटवारी ने कब्जे बाबत् कोई रिपोर्ट नहीं की, भूमि की उद्घोषणा भी नहीं हुई तथा विधिक आवंटन कमेटी भी उपलब्ध नहीं थी। आवंटन नियमों के नियम–5 से 11 की पालना भी नहीं की गई है। अपीलान्ट विपक्षी संख्या–1 की और से खण्डन का जवाब पेश कर आवंटन विधिक होना तथा

कब्जा स्वयं का होना बताया। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट भी तहसीलदार झाड़ोल से तलब की। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 26–10–2010 से अपीलार्थी विपक्षी संख्या–1 का आवंटन निरस्त कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–10–2010 से रूष्ट होकर अपीलान्ट आवंटी विपक्षी संख्या–1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–5–2017 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अनपढ़, गरीब एवं कानून से अनभिज्ञ व्यक्ति है तथा बाहर जाने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया। दिनांक 29–4–2017 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा झगड़ा करने पर उसे न्यायालय निर्णय की जानकारी हुई। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–10–2010 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुने जाने व दोनों पक्ष के अधिवक्तगणों के हस्ताक्षर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21–10–2010 को बहस सुनने के बाद निर्णय दिनांक 26–10–2010 को किया है। जिसकी अपील के लिए दिनांक 25–12–2010 तक मयाद होती है। यह अपील 6 वर्ष 5 माह बाद पेश की गई है। मयाद कण्डोन किये जाने के लिए जो आधार दिये गये है वे 6 वर्ष 5 माह की अवधि कण्डोन किये जाने के लिए ठोस, उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। करीब साढ़े 6 वर्ष की अवधि तक अपीलान्ट विपक्षी का निष्क्रिय रहना तथा इतनी बड़ी अवधि के लिए जो कारण वर्णित किये गये है वे कदापि ग्राह्य नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26–10–2010 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर